

‘अपशषिट प्रबंधन के लिये सहायता’ योजना

चर्चा में क्यों?

26 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा सरकार ने उद्योगों को अपशषिट प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र के लिये ‘अपशषिट प्रबंधन के लिये सहायता’ योजना अधिसूचिती की है, जिसके तहत राज्य में उद्योगों को कचरा संग्रहण, परिवहन, उपचार और नपिटान जैसी अपशषिट प्रबंधन गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बडि

- उद्योग एवं वाणजिय वभिाग के प्रवकता ने बताया कयिह योजना 1 जनवरी, 2021 से शुरु मानी जाएगी और पाँच वर्ष की अवधतक लागू रहेगी। इस योजना के तहत 1 जनवरी, 2021 को या उसके बाद और 31 दसिंबर, 2025 से पहले भूमि, मशीनरी एवं उपकरण की खरीद पर सहायता प्रदान की जाएगी।
- अपशषिट प्रबंधन योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकस ससि्टम डजिाइन एंड मैनुयूफैकचरगि (ईएसडीएम) कषेत्र में संचालति उद्योगों के लिये इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन और ई-कचरा वसूली परयिोजनाएँ स्थापति करने हेतु 50 करोड़ रुपए तक की मशीनरी और उपकरण सहति परयिोजना लागत के 50 प्रतशित तक की वतितीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा राज्य में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिकस ससि्टम डजिाइन एंड मैनुयूफैकचरगि (ईएसडीएम) कषेत्र में संचालति नई अल्ट्रा-मेगा परयिोजनाओं, मेगा परयिोजनाओं, बड़े उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को केवल कयि गए व्यय की प्रतपूरति के माध्यम से वतितीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचिती उद्योगों की प्रतबिधात्मक सूची इस सहायता के लिये लागू नहीं होगी। पात्र इकाइयों को सांख्यिकीय उद्देश्य के लिये पोर्टल पर आईईएम/उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यूआरसी) और हरियाणा उद्यम ज्जापन (एचयूएम) दाखलि करना होगा।
- इकाई वाणजियक उत्पादन में होनी चाहिये। वतिरण के समय इकाई नयिमति उत्पादन में होनी चाहिये और बंद इकाई को सबसडिी जारी नहीं की जाएगी।
- संवतिरण की पद्धति के तहत वतितीय सहायता का संवतिरण तीन चरणों में कयि जाएगा। पहले चरण में पात्र सहायता की 25 प्रतशित की पहली कशित भूमिका शत-प्रतशित कबज़ा लेने के बाद जारी की जाएगी और आवेदक द्वारा पात्र परयिोजना लागत का 50 प्रतशित व्यय कयि होना चाहिये।
- पात्र सहायता की 25 प्रतशित की दूसरी कशित आवेदक द्वारा पात्र परयिोजना लागत का 75 प्रतशित खर्च करने के बाद वतिरति की जाएगी। पात्र सहायता की 50 प्रतशित की तीसरी और अंतिम कशित का भुगतान तब कयि जाएगा, जब आवेदक ने पात्र परयिोजना लागत का शत-प्रतशित खर्च कयि हो। इन सभी मामलों में आवेदक को प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
- कमयिों को लखिति रूप में सात दिनों की अवध के भीतर आवेदक को सूचिती कयि जाएगा और आवेदक को बताई गई कमयिों को दूर करने के लिये 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी।
- कषेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नयितरण बोर्ड द्वारा प्रमाणति कयि अनुसार उपकरण की स्थापना या योजना की अधिसूचना की तथिति, जो भी बाद में हो, से तीन महीने के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक को अपशषिट प्रबंधन के लिये सहायता की पात्रता से वंचति कर दिया जाएगा।
- यद किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है क आवेदक ने गलत तथियों के आधार पर सहायता का दावा कयि है तो आवेदक को 12 प्रतशित की वार्षिकि चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ सहायता वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से कोई भी प्रोत्साहन/सहायता प्राप्त करने से वंचति कर दिया जाएगा।
- यद आवेदक अनुदान की राशि ब्याज सहति वापस करने में वफिल रहता है तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। तथियों और आँकड़ों के बेमेल होने के कारण भी आवेदक को सार्वजनिक खरीद से वंचति कर दिया जाएगा।